228

यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3616 /2016 जिला–टीकमगढ

निग–3616–I–16

रामस्वरूप पुत्र श्री दीने अहिरवार
निवासी – चकरपुर, तहसील ओरछा,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
— आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.)
2. रंजीत सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह,
निवासी चकरपुर, तहसील ओरछा,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)
— अनावेदकगण

18.10.16

18-10-16

18/10/16

न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/बी–121/2010–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, टीमकगढ़ का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, टीमकगढ़ द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, टीमकगढ़ द्वारा आवेदक को सूचना पत्र दिये बिना ही तथाकथित फर्जी सूचना के आधार पर उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की है, जोकि नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, टीमकगढ़ द्वारा यह निष्कर्ष दिया है कि आवेदक द्वारा पट्टे की भूमि का विक्रय किया है, जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गयी है, जबकि भू–राजस्व संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि अधिक समय पश्चात् पट्टेदार को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3616/एक/2016 जिला–टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21.10.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 29/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, अपना प्रतिवेदन कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को प्रस्तुत किया कि पट्टेदार रामस्वरूप पुत्र दीने अहिरवार द्वारा भूमि का विक्रय रंजीतसिंह पुत्र महाराजसिंह को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर किया है, इसलिए उसके द्वारा धारा 165(ख) का उल्लंघन किया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदक के हित में जारी पट्टा निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम चकरपुर तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़ में स्थित भूमि सर्वे	

खसरा क्रमांक 60/2 रकवा 0.098 हैक्टेयर का पट्टा आवेदक को विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया था जिसके बाद आवेदक को उक्त भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे तत्पश्चात उसके द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है, अतः ऐसे विक्रय पत्र को अवैध नहीं माना जा सकता, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का विधिवत अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाये एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

5— अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा उपरोक्त प्रकरण विधिवत् विचार करने के पश्चात् प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की है। वह विधिवत होने से सही है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2010 के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही की है। उक्त प्रकरण में आवेदक को किसी भी प्रकार का कोई सूचनापत्र अथवा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। जबकि वह उपरोक्त भूमि का विधिवत भूमिस्वामी है। ऐसी स्थिति में

उसके द्वारा किया गया विक्रयपत्र अपने स्थान पर विधिवत एवं सही है और भूमिस्वामी को भूमि का विक्रय किये जाने की अनुमति लिये जाना उपरोक्त परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है। इस तथ्य पर विचार किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/बी—121/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तथा विक्रय पत्र के आधार पर रंजीत सिंह पुत्र महाराज सिंह के हित में किया गया नामान्तरण स्थिर रखा जाकर राजस्व अभिलेखों में उसके नाम का इन्द्रांज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य